

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2025 / 374

दिनांक : 26/09/2025

- आ दे श -

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या : रा.उ. न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936, दिनांक 18.01.2025, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक : G//A-4(i)(a)113/2024/902, दिनांक 19.09.2025 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के लिए परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय (अंग्रेजी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ-15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 (33800-106700) में 23700/-रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नांकित की नियुक्ति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

S. No.	Merit No.	Roll No.	Date of Birth	Name of Candidate & Address	Gender	Scateg	Place of Posting
1	08	43396	07.07.1998	Miss. Shruti Sharma D/o Dinesh Kumar Sharma R/o 38 New Khandelwal Nagar, Agra Road, Jaipur (Raj.) PIN - 302031	Female	General	District & Sessions Court, Bundi
2	09	44661	01.01.2006	Jayant Kumar S/o Virendra Kumar R/o 1693 A Near Radhakishan Hospital, Jyoti Nagar, Kurukshetra(Haryana) PIN - 136118	Male	General	District & Sessions Court, Bundi

- उक्त नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय की संयुक्त परीक्षा, 2025 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं निधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य-व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी को यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रूप से Subject to Police Verification के अधीन दी जा रही है।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम/परिपत्र लागू होंगे।

30/09/2025
26/09/2025

8. राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
9. अभ्यर्थी को सात कार्य दिवस में उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
10. नव नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान होने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक : Estt.B2(xi)e/118/2023 / 3313, दिनांक 19.08.2023 की पालना में राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 25 (ए)(ii) के अन्तर्गत अपना/अपने माता-पिता/संरक्षक/अपने पति/अपनी पत्नी एवं अपने सास-श्वसुर का घोषणा पत्र इस बाबत प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी द्वारा, उपरोक्त सम्बन्धियों या अन्य द्वारा विवाह के पूर्व/विवाह के समय/पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने उपरोक्त सम्बन्धियों या किसी अन्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में परिभाषित दहेज नहीं लिया/दिया गया है एवं न ही भविष्य में दहेज लिया/दिया जायेगा।

(अजय शुकला) 26/9/2025
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0/2025/10672-10676

दिनांक : 26/09/2025

प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी।
2. सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी (आदेश कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने, आदेश की प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी पर ई-मेल करने तथा अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर नियुक्ति आदेश जारी होने की सूचना देने हेतु)
3. सम्बन्धित को स्पीड पोस्ट से
4. रक्षित पत्रावली।

(अजय शुकला) 26/9/2025
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2025 / 375

दिनांक : 26/09/2025

- आ दे श -

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या : रा.उ. न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936, दिनांक 18.01.2025, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक : G//A-4(ii)(a)113/2024/902, दिनांक 19.09.2025 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के लिए परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ-15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 (33800-106700) में 23700/-रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नांकित की नियुक्ति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

S. No.	Merit No.	Roll No.	Date of Birth	Name of Candidate & Address	Gender	Scateg	Place of Posting
1	46	57411	10.07.1998	Kuldeep Sharma S/o Rajesh Sharma R/o Behind Vishnu Mandir Indira Colony, Shivpuri (M.P.) PIN - 473551	Male	GEN	Office of C.J. & J.M., Bundi(Raj.)
2	50	52985	20.11.1995	Raghav Sharma S/o Ram Babu Sharma R/o Idgah Mode, Behind Soni Marriage Hall, Gangapur City District Sawai Madhopur (Raj.) PIN - 322201	Male	GEN	Office of C.J. & J.M., Nainwa District Bundi(Raj.)
3	111	53095	10.09.2004	Sagar Pachauri S/o Vishnu Pachauri R/o Julahapada, Bhusawar, District Bharatpur (Raj.) PIN - 321406	Male	EWS	Office of Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Talera District Bundi(Raj.)

- उक्त नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय की संयुक्त परीक्षा, 2025 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य-व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी को यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रूप से Subject to Police Verification के अधीन दी जा रही है।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

26/9/2025

7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
8. राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
9. अभ्यर्थी को सात कार्य दिवस में उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
10. नव नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान होने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबन्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक : Estt.B2(xi)e/ 118/2023 /3313, दिनांक 19.08.2023 का पालना में राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 25 (ए)(ii) के अन्तर्गत अपना/अपने माता-पिता/संरक्षक/अपने पति/अपनी पत्नी एवं अपने सास-श्वसुर का घोषणा पत्र इस बाबत प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी द्वारा, उपरोक्त सम्बन्धियों या अन्य द्वारा विवाह के पूर्व/विवाह के समय/पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने उपरोक्त सम्बन्धियों या किसी अन्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में परिभाषित दहेज नहीं लिया/दिया गया है एवं न ही भविष्य में दहेज लिया/दिया जायेगा।

(अजय शुक्ला)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0/2025/10677-10682

दिनांक : 26/09/2025

प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी।
2. सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी (आदेश कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने, आदेश की प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी पर ई-मेल करने तथा अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर नियुक्ति आदेश जारी होने की सूचना देने हेतु)
3. सम्बन्धित को स्पीड पोस्ट से
4. रक्षित पत्रावली।

(अजय शुक्ला)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)